लाल बारादरी भवन, लखनऊ
दूरभाष–0522–2628453, 2616033

वीथिका आरक्षण नियमावली

राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 की वीथिकाएं बिना लाभ–हानि के आधार पर कला प्रोत्साहन एवं प्रदर्शन हेतु आरक्षित की जाती हैं।

वीथिका में उपलब्ध स्थान –

श्रोतागार / वीथिका नं. –1 (राय कृष्ण दास सभागार)	58x25 फीट	वातानुकूलित (100 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था हो सकती है।)
वीथिका नं. 2	44x27 फीट	वातानुकूलित
वीथिका नं. 3	44x27 फीट	नान ए.सी.
वीथिका नं. 4	52x25 फीट	नान ए.सी.

1. उपर्युक्तानुसार अकादमी में तीन कला वीथिकाएं तथा एक श्रोतागार कम वीथिका है। जिन्हें उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार आरक्षित किया जायेगा। श्रोतागार को उद्घाटन समारोह आदि के लिये पूर्व अनुरोध पर केवल एक दिन के लिये उपलब्धता के आधार पर सशुल्क प्रदान किया जा सकता है।

2. व्यावसायिक संगठन / उत्पादों अथवा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये भी वीथिकाएं आरक्षित की जा सकती हैं।

3. वीथिकाओं के आरक्षण हेतु निर्धारित प्रार्थना पत्र पर ही आवेदन किया जाए। प्रार्थना पत्र रु. 25 / – का नकद भुगतान कर अकादमी से प्राप्त किया जा सकता है।

4. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सामग्री संलग्न करना आवश्यक है।
   क. कलाकार का संक्षिप्त जीवन परिचय।
   ख. प्रदर्शित की जाने वाली सभी कृतियों छायाचित्र (रंगीन / श्वेत श्याम)
   ग. यदि प्रदर्शनी सामूहिक है तो सम्मिलित होने वाले समस्त कलाकारों का जीवन परिचय तथा कम से कम 2–2 प्रदर्शनी में सम्मिलित होने वाली कृतियों के छायाचित्र (रंगीन / श्वेत श्याम)

5. वीथिका आरक्षण हेतु सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर एवं जून में आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में आवेदन स्वीकार करने का अधिकार सचिव / अध्यक्ष को रहेगा।

6. अकादमी प्रार्थी द्वारा आवेदित तिथियों को वरीयता में पूरी करने का प्रयास करेगी, परन्तु रिक्तियां न होने पर परिवर्तन सम्भव।

7. वीथिका आरक्षण हेतु प्राप्त आवेदन पर अकादमी का निर्णय अन्तिम होगा।

8. वीथिका आरक्षण प्रदान करने हेतु निर्गत पत्र में उल्लिखित तिथि तक अपनी स्वीकृति से अकादमी को अवगत कराना होगा अन्यथा आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा।

9. आरक्षण सम्बन्धी निर्धारित भुगतान स्वीकृति के साथ ही जमा कराया जायेगा। बिना भुगतान, स्वीकृति पर आरक्षण सम्भव नहीं होगा।

10. समस्त भुगतान नकद / बैंक ड्राफ्ट सचिव, राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0, लखनऊ के नाम से होगा जिसका भुगतान अकादमी को लखनऊ में प्राप्त हो।

11. प्रार्थी द्वारा आरक्षण तिथि शुरू होने के 15 दिन पूर्व यदि आवेदन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया जाता है तो केवल सिक्योरिटी वापस की जायेगी।

12. वीथिका आरक्षण तिथि से एक दिन पूर्व अपराह्न से आरक्षी वीथिका का कब्जा ले सकता है। यदि आरक्षण तिथि से पूर्व अथवा बाद में सार्वजनिक अवकाश होता है तो पूर्व कार्य दिवस के अपराह्न तथा बाद के कार्य दिवस के पूर्वाह्न कब्जा लिया / दिया जा सकता है। इसका कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

13. अकादमी में उपलब्ध होने पर हैंगर, सीढ़ी, दीपक स्टैण्ड, पैडस्टल आदि उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अकादमी इसके लिये बाध्य नहीं है। समस्त सामग्री वीथिका का कब्जा देते समय वापस करनी होगी। उसी के बाद सिक्योरिटी राशि वापस होगी।

14. प्रदर्शनी से सम्बन्धित पोस्टर, कैटलाग, निमंत्रण पत्र, प्रचार–प्रसार सामग्री निर्धारित स्थानों पर लगानी होगी तथा कोई विवादित सामग्री / चित्र न तो प्रदर्शित किया जायेगा व न ही वितरित किया जायेगा ।

15. प्रदर्शनी का डिस्प्ले, अतिथि सत्कार, प्रेस, समीक्षकों, प्रचार–प्रसार आदि का दायित्व कलाकार / संस्था का है इस हेतु स्वयं व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। अकादमी के कर्मचारी इस हेतु उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे।

16. कलाकार / संस्था के द्वारा प्रचार–प्रसार सामग्री में प्रदर्शनी से सम्बन्धित सूचनाएं ही अंकित की जाएं।

18. अकादमी परिसर एवं वीथिका में धूम्रपान, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का प्रयोग पूर्ण वर्जित होगा।

19. वीथिकाओं की दीवारों पर स्टीकर, सेलोटेप, गमटेप, कील, फेवीकोल आदि से कोई भी चीज चिपकाना वर्जित है तथा फर्श पर भी गीली अल्पना आदि बनाना निषिद्ध है। कृतियों के कैप्शन कृति की बिडिंग/फ्रेम या पैडस्टल पर ही लगाये जाएं। दीवार अथवा फर्श पर नहीं।

20. प्रदर्शनी के समय कलाकार/संस्था द्वारा कुर्सी मेज अथवा फर्नीचर आदि को बिना अनुमति के स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। फर्नीचर वीथिका अथवा अकादमी की किसी भी प्रकार की सामग्री की क्षति का दायित्व वीथिका उपयोगकर्ता की होगी।

21. वीथिका आरक्षण हेतु आवेदन पत्र के साथ लगे आवश्यक संलग्नक आवेदन पत्र स्वीकृत/ अस्वीकृत होने की स्थिति में वापस नहीं किये जायेंगे। पुनः आवेदन करने हेतु पूर्व के संलग्नकों को संदर्भित नहीं किया जायेगा।

22. यदि विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ विद्युत उपकरणों से न की जाए। विद्युत उपकरण केवल अकादमी के कर्मियों द्वारा ही संचालित किये जायेंगे। वातानुकूलन का लाभ केवल विद्युत आपूर्ति होने पर ही प्रदान किया जायेगा।

23. प्रदर्शनी के समय कलाकार को स्वयं या उसके प्रतिनिधि का उपस्थित रहना आवश्यक है। प्रदर्शनी की किसी भी क्षति का उत्तरदायित्व स्वयं कलाकार/संस्था का होगा।

24. प्रदर्शनी समाप्ति के पश्चात् निर्धारित समय में कृतियों/प्रदर्शों को अवश्य उठा लिया जाए। कलाकृतियां ले जाने से पूर्व सम्बन्धित सहायक से गेटपास अवश्य प्राप्त किया जाए।

25. वीथिका उपयोगर्ता द्वारा प्रदर्शनी के समय यदि अपने ध्वनि उपकरणों के माध्यम से संगीत बजाया जाता है तो उसकी आवाज मध्यम एवं गरिमा युक्त हो। केवल शास्त्रीय संगीत ही बजाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

26. आवेदन पत्र जमा करने के साथ ही रु. 250/– मात्र का नकद भुगतान करना होगा। यह धनराशि वीथिका आरक्षण स्वीकृत होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि में समायोजित कर दी जायेगी। अकादमी द्वारा प्रस्तावित तिथि तक आरक्षी की स्वीकृति प्राप्त न होने पर उक्त धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

27. वीथिका आरक्षण नियमों में संशोधन का अधिकार अकादमी के पक्ष में सुरक्षित रहेगा।

28. वीथिका आरक्षण हेतु रु. 1000/– (रुपये एक हजार मात्र) सिक्योरिटी जमा करनी होगी जिसे प्रदर्शनी की समाप्ति के पश्चात् अपनी प्रदर्शित सामग्री परिसर से ले जाने एवं वीथिका का कब्जा पूर्ववत स्थिति में अकादमी को सौंपने के बाद वापस की जायेगी। यदि वीथिका या अकादमी की सम्पत्ति की हानि होती है तो सिक्योरिटी से प्रतिपूर्ति की जायेगी अधिक होने की स्थिति में सम्बन्धित से अलग से भी की जा सकती है।

29. वीथिका आरक्षण हेतु शुल्क एकल, सामूहिक एवं सस्थानों के लिये अलग–अलग है, जो निम्नवत् है :–

वीथिका आरक्षण शुल्क

एकल	सामूहिक	संस्थान
4 दिन ए.सी. – रु. 1500/– (चार दिन के पश्चात् रु. 250/– प्रति अतिरिक्त दिन) नान ए.सी. – रु. 1200/– (चार दिन के पश्चात् रु. 200/–) **सिक्योरिटी रु. 1000/–**	4 दिन ए.सी. – रु. 2000/– (चार दिन के पश्चात् रु. 500/– प्रति अतिरिक्त दिन) नान ए.सी.– रु. 1500/– (चार दिन के पश्चात् रु. 300/–) **सिक्योरिटी रु. 1000/–**	4 दिन ए.सी. – रु. 3000/– (चार दिन के पश्चात् रु. 1000/–प्रति अतिरिक्त दिन) नान ए.सी.– रु. 2000/– (चार दिन के पश्चात् रु. 500/–) **सिक्योरिटी रु. 1000/–**

ललित कला से सम्बन्धित गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य आयोजनों हेतु श्रोतागार का किराया रु0 7000/–

प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक

प्रदर्शनी के उद्घाटन हेतु श्रोतागार का किराया

एकल	सामूहिक	संस्थान
प्रतिदिन – रु. 500/–	प्रतिदिन रु. 700/–	प्रतिदिन रु. 1000/–

नोट – साउण्ड सिस्टम/माइक की व्यवस्था आयोजक द्वारा स्वयं की जायेगी ।